—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 7/2021

उनवान

कूकी उर्फ पार्वती देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति रावत निवासी ग्राम सवाईपुरा, नया गांव, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. छीतर सिंह पुत्र घीसा सिंह
2. कमला पत्नी छीतर सिंह
3 कैलाश पुत्र छीतर सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम चैनपुरा, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—: अप्रार्थीगण :— 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
4 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 6.12.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.26 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 3027 है। 3027 व 3031 पूर्व में संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 2719 रहे है। खसरा नम्बर 1890 का पूर्व खसरा नम्बर 3027 व 3027 का पूर्व का खसरा नम्बर 2719 रहा है। उक्त आराजी पर नसीराबाद से मांगलियावास रोड दर्शित था। खसरा नम्बर 3027 पर जाने के लिये खसरा नम्बर 3026 पर से होकर जाना पडता है, 3026 का वर्तमान खसरा नम्बर 1885 व 1886 है। उक्त आराजी जमाबंदी में बीड के रूप मे अंकित हैं, जिसमें से होकर प्रार्थी व उसके परिवार के लोग 100 वर्षो से आवागमन कर रहे हैं। अप्रार्थी ने मिलीभगत करके 1890 की दक्षिण भुजा को खसरा नम्बर 1886 बीड के रूप में जो रकबा कम था उस पर रेखाकंन कर दिया और खसरा नम्बर 1890 का रकबा काफी कम कर दिया। जिस कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है। अतः अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1885, 1886 व 1882/2505 सिवायचक बीड है। अप्रार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1882 व 1884 है। उक्त खसरा में आवागमन का रास्ता भी दर्ज है। अप्रार्थी की भूमि के पास सिवायचक भूमि होने के कारण प्रार्थी उसको हडपना चाहता हैं। अप्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है उसके द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर तारबंदी व दरवाजा बना रखा है। पटवारी हल्का ने नक्शें में कोई परिवर्तन नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नमबर 1890 व 1896 प्रार्थी की खातेदारी है। अप्रार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1882 व 1884 है। हाल खसरा नम्बर 1885, 1886 व 1882/2505 सिवायचक है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी व सिवायचक भूमि आस–पास ही स्थित हैं। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी ने मिलीभगत करके 1890 की दक्षिण भुजा को खसरा नम्बर 1886 बीड के रूप में जो रकबा कम था उस पर रेखाकंन कर दिया और खसरा नम्बर 1890 का रकबा काफी कम कर दिया। किन्तु राजस्व मानचित्र में त्रुटि के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगे। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्य प्रथम दृष्टया सिद्व नही होते है। अतः प्रथम प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी के समीप सिवायचक भूमि है। प्रार्थी वर्तमान राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण बताते है। जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम चैनुपरा की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
नसीराबाद